रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2614] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2017/भाद्र 20, 1939
No. 2614] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2017/ BHADRA 20, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2017

का.आ. 2984(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और, उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेखांक संख्या डीवीसी/तुबेद/003, तारीख 27 जुलाई, 2017, का निरीक्षण, मुख्य महा प्रबंधक, (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान आयोजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची – 834 001, झारखण्ड के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001 या कलक्टर, जिला–लातेहार, झारखंड के कार्यालय में या कार्यपालक निदेशक (ईंधन), दामोदर घाटी निगम, डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, उल्टाडंगा, कोलकाता-700054 के कार्यालय में किया जा सकेगा;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, कार्यपालक निदेशक (ईंधन), दामोदर घाटी निगम, डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, उल्टाडंगा, कोलकाता-700054 के कार्यालय को, -

(i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा; अथवा

(ii) उसकी धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा ।

अनुसूची

तुबेद कोयला ब्लॉक, औरंगा कोलफील्ड

जिला – लातेहार, झारखण्ड

[रेखांक संख्या डीवीसी/तुबेद/003, तारीख 27 जुलाई, 2017]

क्र. सं.	मौजा का नाम	थाना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणी
1.	अम्बाझारण	335	लातेहार	लातेहार	113.53	भाग
2.	धोबियाझारण	336	लातेहार	लातेहार	126.43	पूर्ण
3.	डिही	334	लातेहार	लातेहार	51.34	भाग
4.	नवारी	337	लातेहार	लातेहार	34.88	भाग
5.	मंगरा	330	लातेहार	लातेहार	32.24	भाग
6.	तुबेद	333	लातेहार	लातेहार	101.77	भाग
कुल : 460.19 हेक्टेयर (लगभग)						

कुल: 460.19 हेक्टेयर (लगभग) या 1137.12 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

(1) रेखा 1-3 : बिन्दु – 1 से रेखा तुबेद ग्राम के नजदीक वन क्षेत्र में, कोयला ब्लॉक के उत्तर पश्चिम दिशा में शुरू होती है, उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ती है और अम्बाझारण गाँव के पास बिंदु – 3 तक पहुँचती है ।

(2) रेखा 3-8 : बिंदु – 3 से रेखा शुरू होती है, दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है तथा नवारी गाँव में बिंदु – 8 तक पहुँचती है ।

(3) रेखा 8-10 : बिंदु – 8 से रेखा शुरू होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और मंगरा ग्राम में बिन्दु – 10 पर पहुँचती है ।

(4) रेखा 10-12 : बिंदु – 10 से रेखा शुरू होती है, दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और मंगरा ग्राम के वन क्षेत्र में बिंदु – 12 तक पहुँचती है ।

(5) रेखा 12-14 : बिंदु – 12 से रेखा शुरू होती है, दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और मंगरा ग्राम के वन क्षेत्र में बिंदु – 14 तक पहुँचती है ।

(6) रेखा 14-17 : बिंदु – 14 से रेखा शुरू होती है, उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और तुबेद ग्राम में सुकरी नदी के दाहिने तट में बिंदु – 17 तक पहुँचती है ।

(7) रेखा 17-18 : बिंदु – 17 से रेखा शुरू होती है, उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और तुबेद ग्राम में सुकरी नदी के बाएँ तट में बिंदु – 18 तक पहुँचती है ।

(8) रेखा 18-1 : बिंदु – 18 से रेखा शुरू होती है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और तुबेद ग्राम में बिंदु – 1 तक पहुँचती है ।

[फा. सं. 43015/34/2017-एलए एण्ड आईआर]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2017

S.O. 2984(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality mentioned in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number DVC/Tubed/003, dated the 27th July, 2017 containing the details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834031 or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the Collector, District- Latehar, Jharkhand or at the office of the Executive Director (Fuel), Damodar Valley Corporation, DVC Towers, V.I.P. Road, Ultadanga, Kolkata – 700054;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, -

(i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the said land; or

(ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof ; or

(iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the Executive Director (Fuel), Damodar Valley Corporation, DVC Towers, V.I.P. Road, Ultadanga, Kolkata – 700054, within a period of ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Tubed Coal Block, Auranga Coalfield

District – Latehar, Jharkhand

[Plan bearing number DVC/Tubed/003, dated the 27th July, 2017]

Sl. No.	Mouza Name	Thana number	Thana	District	Area in hectares	Remark
1.	Ambajharan	335	Latehar	Latehar	113.53	Part
2.	Dhobiajharan	336	Latehar	Latehar	126.43	Full
3.	Dihi	334	Latehar	Latehar	51.34	Part
4.	Nawari	337	Latehar	Latehar	34.88	Part
5.	Mangra	330	Latehar	Latehar	32.24	Part
6.	Tubed	333	Latehar	Latehar	101.77	Part
Total : 460.19 hectares (approximately)						

Total : 460.19 hectares (approximately) or 1137.12 acres (approximately)

Boundary description:

(1) Line 1-3: The line starts at point – 1 in the north-west corner of the coal-block, at forest area near Tubed village trends in north-east direction reaches at point – 3 near Ambajharan village.

(2) Line 3-8: The line starts from point -3, trends in the south eastern direction and reaches point – 8 in the field of Nawadi village.

(3) Line 8-10: The line starts from point - 8, trends in the south-west direction and reaches point – 10 in the field of Mangra village.

(4) Line 10-12: The line starts from point - 10, trends in the south-west direction and reaches point – 12 in the forest area of Mangra village.

(5) Line 12-14: The line starts from point - 12, trends in the south-west direction and reaches point – 14 in the forest area of Mangra village.

(6) Line 14-17: The line starts from point - 14, trends in the north-west direction and reaches point – 17 in the right bank of sukri river at Tubed village.

(7) Line 17-18: The line starts from point - 17, trends in the north-east direction and reaches point – 18 in the left bank of sukri river at Tubed village.

(8) Line 18-1: The line starts from point - 18, trends in the northern direction and reaches point – 1 at Tubed village.

[F. No. 43015/34/2017-LA & IR]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.12 11:34:35 +05'30'